हरिभूमि
रायपुर मुख्य संस्करण - Page 2
30 July 2025

शराब घोटाला, अनवर ढेबर की याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की गिरफ्तारी को अवैधानिक बताते हुए एफआईआर रद्द करने समेत कई मांगें थी। ईडी के अनुसार सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले थे। सुनवाई के दौरान शासन ने बताया कि सरकारी शराब दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी। जिससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ है। यह गंभीर अपराध है। पहले भी दो बार याचिका खारिज हो चुकी है। ध्यान रहे कि शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि तात्कालीन सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।